प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023.....
प्र0सू0रि0 सं. .....26/2023..... दिनांक .....01/2/2023.....

2.(i) अधिनियम..... भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारायें ..... 7 .....
(ii) अधिनियम.....भा.द.स.....धारायें.....120बी.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.....14..... समय .....11:45A.M.....
(ख) अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक :– 31.01.2023 समय ....3.39 पीएम.....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– जयपुर .....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– सीकर से दक्षिण दिशा में करीब 116 किलोमीटर
(ब) पता :– कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, रोड़ नं. 01, विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र, जयपुर .....
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री प्रज्जवल अग्रवाल.....
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री मुकेश कुमार अग्रवाल .....
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 28 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– निवासी एच–60 बी, मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुर .....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1–श्री रामनिवास पुत्र श्री गणपतराम, उम्र–53 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी प्लाट नम्बर 50, बेनाड़ रोड़, दादी का फाटक जयपुर हाल अधीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, रोड़ नं. 01, विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र, जयपुर।
2–श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामलोचन, उम्र–48 वर्ष, जाति कायस्थ, निवासी फ्लेट नम्बर 2/3बी, रेल विहार विद्याधरनगर जयपुर, हाल निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, रोड़ नं. 01, विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र, जयपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 5,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी सीकर विषय शैलेन्द्र कुमार एवं रामनिवास सिरोवा को रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी भगवती सेल्स के नाम से फर्म चलाता है जिसका जीएसटी नम्बर 08एएएक्सएफबी 7567 जे1जेडजे मैं अमेजन, फिलपकार्ड एवं अन्य सभी ऑन लाईन पोर्टल पर गारमेन्टस का काम करता हूँ। मेरे फर्म के टीसीएस के पैसे 36572 एवं 25836 रूपये केया लेजर में पडे हुये है उसका रिफण्ड एआरएन नम्बर एए0812220102900 एवं एए081222067115जे है इसके लिये मैने कई बार श्री शेलेन्द्र कुमार जी से कहा कि मेरा पैसा रिफण्ड करवा दो(जरिये टेलिफोन) इस पर उन्होने

कहा ऑफिस आकर मिलों पूर्व में भी इनको कई बार कह चुके है लेकिनयह मेरा काम नहीं कर रहे है और पैसो की मांग कर रहे है इस काम के लिये मेरे से 5000 रूपये की मांग की जा रही है वहीं पर काम करने वाले श्री रामनिवास सिरोवा भी मेरी फर्म के क्रेडिट लेजर में पडे कमीशन के इनपूट में लगभग 10–12 लाख रूपये पडे हुये है, जिनको मेरे खाते में डालने के लिये 50000 की मांग की जा रही है। मै इन दोनों अधिकारियों को रिश्वत नहीं देना चाहता मेरे इनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है कृपया कानूनी कार्यवाही करें। एसडी–श्री प्रज्जवल अग्रवाल एच60बी, मीरा मार्ग बनीपार्क जयपुर मोबाईल 9669110276 दिनांक 30.01.23, कार्यवाही शुरू की जाती है, एसडी–राजेश जांगिड दिनांक 30.01.23, एसडी–नरेन्द्र, एसडी–सुभम दिनांक 31.01.2023

कार्यवाही पुलिस

30.01.2023

01.20 पीएम इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस राजेश जांगिड़ मय श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, चालक श्री सुरेशचन्द मय सरकारी वाहन के इस समय कलेक्ट्रेट सर्किल पहूँचा जहॉ परिवादी पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी प्रज्जवल अग्रवाल पुत्र श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, उम्र–28 वर्ष, जाति अग्रवाल, निवासी एच–60 बी, मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुर उपस्थित मिला। परिवादी प्रज्जवल अग्रवाल ने उक्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक जीएसटीसी विभाग जयपुर द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना बताते हुये प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना तथा श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक जीएसटीसी विभाग जयपुर से पूर्व की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी–राजेश जांगिड उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से मामला रिश्वत लेनदेन का बनना पाया जाने पर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी को उसकी गाडी से साथ लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल से रवाना होकर कार्यालय सीजीएसटी वी.के.आई रोड़, जयपुर के पास पहूँचा, जहॉ कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चलाकर देखा तो पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड होना नहीं पाई गई। कार्यालय का डिटिल टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत देकर सीजीएसटी कार्यालय की तरफ रवाना किया गया। परिवादी के पीछे–पीछे श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. को मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वाहन में ही मुकिम हुआ।

कुछ समय पश्चात परिवादी प्रज्जवल एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. वाहन में मुकिम मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आये। परिवादी ने बताया कि " मैने सीजीएसटी कार्यालय में जाकर श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक के पास गया जहॉ श्री रामनिवास अधीक्षक भी बैठे थे, जिनसे मैने मेरे टीसीएस के बकाया चल रहे करीब 61,000 रूपयों एवं मेरे इनपूट की सर्विस टेक्स के बारे में बात की तो दोनों ने मेरे को इनपूट सर्विस के रूपये दिलवाने के लिये 50,000 रूपये तथा टीसीएस के रूपये दिलाने के लिये 5,000 रूपये रिश्वत के देने की कही" टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी ने कल दिनांक 31.01.2023 को रिश्वत के रूपये देने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। टेप रिकार्डर एवं परिवादी का प्रार्थना पत्र सुरक्षित रखा गया। एसीबी कार्यालय सीकर पर मामले में दो सरकारी कर्मचारी को कल दिनांक 31.01.2023 को समय 8.00 एएम पर उपस्थित होने हेतु जरिये दूरभाष सूचित किया गया। श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. एवं चालक श्री सुरेशचन्द को जरिये सरकारी वाहन के रूखसत किया जाकर मुनासिब हिदायत दी गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस दिगर राजकार्य में व्यस्त हुआ।

तत्पश्चात दिनांक 31.01.2023 को मन् उप अधीक्षक पुलिस विद्याधर नगर जयपुर स्थित नेशनल हैडलूम पहूँचा जहॉ परिवादी श्री प्रज्जवल उपस्थित आया। समय करीब 10.30 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास कार्यालय के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्रीमती मंजू महिला कानि. नं. 483, श्री सुरेशचन्द कानि. चालक मय स्वतंत्र गवाहान

श्री नरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुभम कुमार सहायक प्रशासनीक अधिकारी कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीकर के मय ट्रेप बाक्स एवं लैपटाप एवं फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाकर जरिये सरकारी वाहन के उपस्थित आये। परिवादी श्री प्रज्जवल का दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक एवं श्री सुभम कुमार सहायक प्रशासनीक अधिकारी से आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व समझाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री प्रज्जवल अग्रवाल ने हिदायत देने पर आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक, सीजीएसटी जयपुर को रिश्वत के रूप में अलग–अलग कार्यो के लिये पॉच हजार एवं बीस हजार कुल 25000 रूपये पेश किये।

आरोपीगण को टीसीएस की राशि दिलाने के लिये पेश किये गये रूपये :–

1–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4 FQ 664545
2–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0RQ 489804
3–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4 FN 763921
4–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9 ND 055624
5–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1 FK 814060
6–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5 RD 116937
7–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3 TQ 347315
8–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0 CM 965521
9–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0 AV 539170
10–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9 MT 455395

आरोपीगण को इनपूट का सर्विस टेक्स की राशि दिलाने के लिये पेश किये गये रूपये :–

1–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3 VA 792140
2–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1 DS 478856
3–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4 QE 148181
4–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4 QE 149490
5–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8 EU 657720
6–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2 CL 034102
7–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4 FE 762363
8–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7 CE 555804
9–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7 BF 433626
10–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5 NW 472318
11–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7 PN 184334
12–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7 MC 435902
13–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6 EE 836848
14–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6 KD 095507
15–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 6 ML 999214
16–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9 LN 097253
17–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9 PP 123877
18–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4 EW 347879
19–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8 DB 974421
20–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0 GB 074624
21–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5 DD 956072
22–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9 PM 853725
23–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5 AC 415028
24–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 9 MV 306183
25–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0 PM 583938
26–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7 ND 696950
27–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 3 HF 084428
28–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5 QE 393807

29–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8 VF 083111
30–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5 CS 455067
31–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5 NW 473751
32–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1 SE 510727
33–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8 SF 580496
34–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 5 NW 473752
35–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 2 CQ 841901
36–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 4 QE 822409
37–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 8 QC 198447
38–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 7 TQ 166721
39–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 0 NE 124723
40–एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी 1 DQ 111437

फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी गाडी के डेस्क बोर्ड से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री सुभम कुमार से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे अलग–अलग 5,000 एवं 20,000 रूपयों के नोट श्री सुरेशचन्द कानि. चालक से परिवादी के पहने हुये शर्ट की सामने की बांई जेबं सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिकिया व महत्व परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेशचन्द कानि. चालक से वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी प्रज्जवल अग्रवाल को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। श्री सुरेशचन्द कानि. चालक को वाहन मे ही मुकिम रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी व सुपुर्दगी नोट प्रथक से तैयार की गई।

तत्पश्चात परिवादी ने अपने स्तर पर श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक की मौजूदगी का पता कर श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक का कार्यालय में नहीं होना बताया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के नेशनल हैडलूम के पास वाहनों में मुकिम हुआ। समय करीब 3.04 पीएम पर परिवादी प्रज्जवल ने अपने मोबाईल नबर 9649110276 से श्री रामनिवास अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414876464 पर व्हाट्सअप कॉल कर वार्ता की तो श्री रामनिवास ने कार्यालय में आने की कही। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के दूसरे डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया।

तत्पश्चात समय करीब 3.08 पीएम पर परिवादी प्रज्जवल को उसकी प्राईवेट वाहन से रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पार्टी के नेशनल हैडलूम से रवना होकर कार्यालय सीजीएसटी जयपुर के पास पहूँचा। परिवादी को उसकी प्राईवेट वाहन से कार्यालय सीजीएसटी की तरफ रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, रोड़ नं. 01, विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र, जयपुर सामने मुख्य सड़क पर मुकिम हुआ। समय करीब 3.39 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी प्रज्जवल के मिस कॉल का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्यों को साथ लेता हुआ समय 3.43 पीएम पर कार्यालय उपायुक्त सीजीएसटी भवन के तृतीय मंजिल पर पहूँचा जहॉ सीडीयों के सामने बने हॉल में परिवादी खड़ा दिखाई दिया, जिसने हॉल में बने बाथरूम की तरफ से आते हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि'' यही रामनिवास जी अधीक्षक है, जिन्होने अपने केबीन में मेरे से अभी अभी पॉच हजार रूपये रिश्वत के लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे है और हॉल में बने बाथरूम की तरफ चला गया'' परिवादी ने डिजिटल टेप रिकार्डर

मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द करने पर टेप रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित रखा गया, इतने में ही उक्त व्यक्ति हॉल में बनी पेन्ट्री जहॉ पानी के लगे आरओ की तरफ भागते हुये रूपये अपनी पहनी हुई पेन्ट से रूपये निकालकर आरओ के सामने बनी पत्थर की आलमारी पर बिछे अखबार पर फैक दिये, मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश देने पर श्री कैलाशचन्द कानि. ने श्री रामनिवास अधीक्षक के दोनों हाथों को कलाईयों के उपर से पकड़ लिये। मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार गवाह श्री शुभम कुमार से गिराये गये रूपये उठवाये गये तो पॉच–पॉच सौ रूपयों के नोट कुल पॉच हजार रूपये पाये गये, जिनको सुरक्षित रखने के निर्देश श्री सुभम कुमार को दिये। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम रामनिवास अधीक्षक कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, जयपुर होना बताते हुये कहा कि ''मैने इनसे रूपये नहीं लिये है'' मौके पर परिवादी ने श्री रामनिवास अधीक्षक के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ''ये झूॅठ बोल रहे है, आज जब मै शैलेन्द्र जी के पास उनकी केबीन में गया तब रामनिवास जी और शैलेन्द्र जी दोनों बैठे थे, तब मेरे को देखकर रामनिवास जी सामने बनी अपनी केबीन में चला गया, तब शैलेन्द्र जी ने रामनिवास जी से मिलने की कही, तब मैने रामनिवास जी से सामने बनी उनकी केबीन में जाकर बात की तो रामनिवास जी ने कहा कि आपका क्रेडीट लेजर वाला काम हो जायेगा, फिर रामनिवास जी ने शैलेन्द्र जी को अपनी केबीन में बुलाया, तब मैने शैलेन्द्र जी को पैसे देने की कही तो शैलेन्द्र जी ने कहा कि पैसे साहब को दे दो, तब मैने पॉच हजार रूपये रामनिवास जी को दे दिये, इनपूट सर्विस टेक्स/क्रेडिट लेजर के बीस हजार रूपयों के लिये दोनों ने ही लेने से मना कर दिया तथा कहा कि काम होने के बाद ले लेगें'' हॉल में सीजीएसटी रेंज–13 लिखी केबीन में खड़े व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ''ये शैलेन्द्र जी है, मैने श्री रामनिवास जी को इनके कहने पर ही पॉच हजार रूपये रिश्वत के दिये है'' इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, जयपुर होना बताते हुये कहा कि ''मैने इनसे रूपयों के बारे में कभी कोई बात नहीं की'' मौके पर परिवादी ने शैलेन्द्र जी के कथनों का खण्डन करते हुये कहा कि ''कल जब मै इनके पास इनकी केबीन में आया तो इनके साथ रामनिवास जी बैठे थे, तब मैने इन दोनों से मेरे टीसीएस के बकाया चल रहे करीब 61,000 रूपयों एवं मेरे इनपूट की सर्विस टेक्स के बारे में बात की तो दोनों ने मेरे को इनपूट सर्विस के रूपये दिलवाने के लिये 50,000 रूपये तथा टीसीएस के रूपये दिलाने के लिये 5,000 रूपये रिश्वत के देने की कही, आज शैलेन्द्र जी सामने ही टीसीएस के रूपये दिलाने के लिये मैने 5,000 रूपये रामनिवास जी को दिये है, तब इन दोनों ने ही मेरे इनपूट की सर्विस के रूपये दिलाने के बाद ही रिश्वत के रूपये लेने की कही'' तत्पश्चात दो कॉच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामनिवास अधीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री रामनिवास अधीक्षक के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैलासा हो गया। उक्त दोनों हाथों के धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात गवाह श्री शुभम कुमार के पास रखे पॉच–पॉच सौ रूपयों के नोट कुल 5000 रूपयो के नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा कुल 5,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में रिश्वती राशि बरामदगी स्थल दिनांक 27 दिसम्बर 2021 का दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर रूई के फौवे से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया,

जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें धोवन को आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क ए–1 एंव ए–2 अंकित किया गया। दिनांक 27 दिसम्बर 2021 का दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर अखबार एवं रूई के फौवे को एक सफेद कागज के लिफाफे में डलवाकर सील्ड करवाकर मार्क ''बी'' अंकित कर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रामनिवास अधीक्षक को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसको पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश करने की हिदायत देने पर उसने अपनी पहनी हुई पेन्ट उतारकर पेश की। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री रामनिवास अधीक्षक की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब को उलटवाकर जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त पेन्ट के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर धोवन को मार्क पी–1 एवं पी–2 से सील्ड किया गया। आरोपी रामनिवास अधीक्षक की पेन्ट की तलाशी लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। आरोपी रामनिवास अधीक्षक की उक्त पेन्ट बरंग ग्रीन की जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपड़ें की थैली में सील्ड कर मार्क ''सी'' अंकित कर जप्त किया गया। बाद कार्यवाही उपरोक्त परिवादी श्री प्रज्जवल ने अपनी जेब से पॉच–पॉच सौ रूपयों के नोटों की थेई निकालकर पेश की। उक्त नोटों को गवाहान से गिनवाया गया तो कुल 20,000 रूपये पाये गये। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। परिवादी के चाहेनुसार उक्त 20,000 रूपये परिवादी प्रज्जवल को सुपुर्द किये गये। आरोपी श्री रामनिवास अधीक्षक एवं आरोपी शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक को परिवादी के टीसीएस एवं क्रडिट लेजर से संबंधित कार्यो के बारे में पूछा गया तो इसकी कोई जानकारी नहीं होना बताया, जिस पर टीसीएस एवं क्रडिट लेजर से संबंधित विवरण उपलब्ध करवाने हेतु उपायुक्त को पत्र जारी किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2, पी–1, पी–2, ए–1, ए–2, सील्ड रिश्वती राशि का कागज, सील्ड सफेद कागज मार्क ''बी'' जिसमें अखबार एवं रूई का फौवा सील्ड किया गया तथा सील्ड शुदा कपड़े के पैकेट मार्क ''सी'' जिसमें आरोपी रामनिवास अधीक्षक की पेन्ट सील्ड है। उपरोक्त सभी प्रादर्श पर आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर करने से मना किया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, रोड़ नं. 01, विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र, जयपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.स. में जरिये फर्द अलग–अलग हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। घटना स्थल से संबंधित फोटो मोबाईल से ली जाकर उनकी रंगीन फोटो प्रति करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपीगण के केबीन की अलग–अलग सरसरी तौर पर खाना तलाशी लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। परिवादी की फर्म से संबंधित सूचना उपायुक्त ने जरिये पत्रांक 3266 दिनांक 31.01.2023 से पेश की जिसे शामिल कार्यवाहीकी गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री प्रज्जवल अग्रवाल द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 30.01.2023 को आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''डी'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी श्री प्रज्जवल अग्रवाल ने स्वंय की व आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक की आवाजों की पहचान की।

तत्पश्चात परिवादी श्री प्रज्जवल अग्रवाल द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 31.01.2023 को समय 03.04 पीएम पर परिवादी प्रज्जवल के मोबाईल नबर 9649110276 से आरोपी श्री रामनिवास अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414876464 पर व्हाट्सअप कॉल कर वार्ता करवाई। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के दूसरे डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। परिवादी श्री प्रज्जवल अग्रवाल द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 31.01.2023 को आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया। उपरोक्त दोनों वार्ताओं की परिवादी एवं उपरोक्त गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ई'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी श्री प्रज्जवल अग्रवाल ने स्वंय की व आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक की आवाजों की पहचान की।

मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी को रूखसत किया जाकर आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक को बाद स्वास्थ्य परीक्षण प्रधान आरक्षी केन्द्र मुख्यालय पर जमा करवाने हेतु कार्यालय के श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री मूलचन्द कानि. मय श्री सुरेशचन्द चालक के जरिये सरकारी वाहन रवाना किया गया। तहरीर हमरा दी गई। श्री रोहिताश्वसिंह मय हमराहीयान के मौके पर उपस्थित आने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह कार्यालय जीएसटीसी से रवाना हुआ।

की गई कार्यवाही से आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, रोड़ नं. 01, विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र, जयपुर द्वारा अपने–अपने पदों का दुरूपयोग करते हुये आपराधिक षडयन्त्र के तहत आपस में मिलीभगत कर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 30.01.2023 को परिवादी श्री प्रज्जवल की फर्म भगवती सेल्स से संबंधित रिफंड एवं क्रेडिट लेजर में पडे हुये रूपयों का भुगतान कराने के लिये परिवादी से 50,000 रूपये एवं टीसीएस का भुगतान दिलाने के लिये 5000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 31.01. 2023 को आरोपीगण द्वारा इनपूट सर्विस के टेक्स अर्थात क्रेडिट लेजर से संबंधित रिश्वती राशि 50,000 रूपये कार्य होने के बाद लेने की कहते हुये फर्म के टीसीएस का भुगतान दिलाने के एवज में आरोपी श्री रामनिवास अधीक्षक द्वारा परिवादी से 5,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, रोड़ नं. 01, विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र, जयपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.द.स. की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपीगण श्री रामनिवास अधीक्षक एवं श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज–13, रोड़ नं. 01, विश्वकर्मा औधोगिक क्षेत्र, जयपुर के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(राजेश जांगिड़)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री रामनिवास पुत्र श्री गणपतराम, अधीक्षक, एवं 2. श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामलोचन, निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर रेन्ज-13, रोड़ नं. 01, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 26/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 197-200 दिनांक 01.02.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, संभाग-सी, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

1.2.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।